तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस तारीख में जारी
19/3/25	पत्रावली वकील अपीलांट के निवेदन पर राजस्व लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तुत हुई। रेस्पा. नं. 2 व 3 के वकील के वकील श्री अहसान अली हाजिर। रेस्पा. नं. 1 व 10 हाजिर। वकील रेस्पा. ने लोक अदालत की मध्यस्थ से निस्तारण कराने का निवेदन किया बहस वकीलान पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत मण्डा (सूरेश) के प्रमाण पत्रों के अनुसार, रमेशचन्द का वारसान नाम अपीलांट व दो नाम से पुकारा जाता था उसके नाम संशोधन हेतु अपील वापिस की जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अपील वापिस की जाती है तथा नाम धर्म-कर्म के 02/10/2020 मृत व. सुरेश (मण्डा) को अपील संशोधन हेतु तहसीलदार-डीडवाना को रिमांड की जाती है। मिसल फोरन मूल को वापिस जाती है। निर्णय आज ही सुनाया जाता किया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना